न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 35/2026 बउनवानी मदनमोहन बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जांगिड निवासी राजबाग बॉकी माता मंदिर के पीछे शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/61

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.1.2026. को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 की तीन प्रमाणित व जनसुनवायी मे लिये जाने वाले प्रकरणों की सूची एवं नही लिये जाने वाले मुददो की सूची एवं राजस्थान सरकार के नियम परिपत्र आदि की प्रमाणित प्रति" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ.13(01)(02)सूकाअ/2025/326 दिनांक 16.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 9.01.2026 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल अनुभाग के पत्रांक 329 दिनांक 20.1.2026 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय बेव साईट ard.rajasthan.gov.in पर जाकर वांछित परिपत्रों को डाउनलोड कर सकते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी एवं सहायक निदेशक लोक सेवाऐ कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर के पत्रांक 82 दिनांक 20.01.2026 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner